मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति- 2016

मध्यप्रदेश शासन

पर्यटन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

पर्यटन विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12/05/2016

क्रमांक एफ 10-16/2016/33 : राज्य शासन एतद् द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिये मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति - 2016 जारी करता है।

संलग्न - नीति

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(हरिरंजन राव)

सचिव

म0प्र0 शासन पर्यटन विभाग

भोपाल, दिनांक 12/05/2016

पृ.क्र. एफ 10-16/2016/33

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विभाग।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।

निरंतर पष्ठ.....2

12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. समस्त आयुक्त/कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
17. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल।
18. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख /पुस्तकालय।
19. अध्क्षत, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन्न पर्यटन विभाग

मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति 2016

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित 2014) में प्रदेश में संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि करना लक्षित है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बनें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना पर्यटन नीति की एक प्रमुख रणनीति है।

1. मार्ग सुविधा केन्द्रों की आवश्यकता

मध्यप्रदेश एक स्थलरुद्ध (Land Locked) प्रदेश है जिसकी सीमायें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य से लगी हुई हैं। देश में पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले प्रमुख राजमार्ग प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ से गुजरते हैं, अतः आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय परिवहन मुख्यतः सड़क मार्गों से होता है। मध्यप्रदेश के अंदर भी वृहद क्षेत्रफल होने से आवागमन में सड़क मार्ग से लम्बी दूरियां तय करना होती हैं। प्रदेश में राजमार्गों एवं ग्रामीण सड़कों का व्यापक नेटवर्क विद्यमान है जिस पर बड़ी संख्या में यात्री, व्यवसायी एवं पर्यटक निरंतर आवागमन करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से विकसित देशों में पर्यटक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजमार्गों पर ''मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities)'' का जाल बिछाया गया है, जिसमें स्वच्छ शौचालय, खान पान, मूलभूत उपयोग की सामग्री, पेट्रोल पंप आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में सड़क मार्गों पर पर्याप्त व्यवस्थित एवं स्तरीय यात्री सुविधा अधोसंरचना उपलब्ध नहीं है, इसको दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि योजनाबद्ध रूप से स्तरीय मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना सुनियोजित रूप से नीति बनाकर की जाये ताकि यात्रियों को आवश्यक सुविधायें सुगमता से प्रत्येक 40 से 50 किलोमीटर की यात्रा पर उपलब्ध हो जाये। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं में प्रावधान किये गये हैं एवं राज्यों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी गयी है।

प्रदेश में स्थित पर्यटन केन्द्रों एवं टूरिस्ट सर्किट को जोड़ने वाले मार्गों पर यात्री सुविधाओं यथा स्वच्छ खान-पान, शौचालय, विश्राम, टेलिफोन एवं इंटरनेट, सुविधा स्टोर्स, प्राथमिक चिकित्सा, पार्किंग आदि की स्थापना से पर्यटन में वृद्धि होगी एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

2. रणनीति

2.1 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा पूरे प्रदेश में रोड नेटवर्क एवं यात्री सुवधिाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिये स्थल चिन्हित किये जायेंगे एवं मास्टर प्लान बनाया जायेगा।

2.2 तैयार मास्टर प्लान का विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों (Stake holders) के मध्य प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि निवेश का वातावरण तैयार हो। इन मार्ग सुविधा केन्द्रों की ब्राण्डिंग मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित ''लोगो'' एवं डिजाइन अनुसार की जायेगी।

2.3 मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु निम्नलिखित तीन मॉडल उपलब्ध होंगे :-

(i) ब्राउन फील्ड मॉडल –

भारत सरकार एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनांतर्गत प्राप्त निधि से मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा मार्ग सुविधा केन्द्रों का निर्माण एवं निजी क्षेत्र द्वारा लीज पर लेकर संचालन।

(ii) ब्रीन फील्ड मॉडल –

पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध शासकीय भूमि पर निजी निवेशक द्वारा मार्ग सुविधा केन्द्र की स्थापना एवं संचालन।

(iii) फ्रैंचाइजी मॉडल –

मास्टर प्लान में चिन्हित स्थलों के पास सामान्यतः दस किलोमीटर की परिधि में निजी निवेशक द्वारा निजी भूमि पर मार्ग सुविधा केन्द्र की स्थापना अथवा उन्नयन एवं संचालन।

3. विभिन्न मॉडलों में मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश

3.1 ब्राउन फील्ड मॉडल –

3.1.1 पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार निर्धारित डिजाइन एवं नियत सुविधाओं से पूर्ण मार्ग सुविधा केन्द्र की स्थापना चिन्हित स्थल पर मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा की जायेगी।

3.1.2 इस हेतु पर्यटन विभाग को भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

3.1.3 मार्ग सुविधा केन्द्र में कार/टूरिस्ट कोच/बस पार्किंग, फूड प्लाजा/रेस्टोरेंट, पुरुष एवं महिला टॉयलेट एवं वॉशरूम, चेंजिंग रूम, फर्स्ट-एड एवं 24x7 जल एवं विद्युत सुविधा निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा।

3.1.4 निर्मित मार्ग सुविधा केन्द्र पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र को आवंटित की जाएगी।

3.1.5 निर्मित मार्ग सुविधाएँ अधिकतम 2 हेक्टेयर आनुषांगिक (appurtenant) भूमि सहित 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के बाद भवन एवं भूमि का निराकरण तत् समय प्रचलित नीति/नियम अनुसार किया जायेगा।

3.1.6 निविदा हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य (अप-सेट प्राइज) रुपये दस लाख रखा जायेगा। निविदा में प्राप्त अधिकतम मूल्य भूमि का प्रीमियम होगा तथा इस प्रीमियम राशि का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष लीज रेंट के रूप में देय होगा।

3.1.7 निविदा आमंत्रण सूचना एक राष्ट्रीय तथा दो प्रादेशिक समाचार पत्रों में तथा निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

3.1.8 निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मार्ग सुविधा के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने से पूर्व इकाई एवं आनुषांगिक भूमि का विधिवत सीमांकन करवाया जाये एवं बाउंड्री का निर्धारण कर लिया जाये तथा इकाई तक विद्युत एवं जल प्रदाय तथा पार्किंग एवं आंतरिक मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो तथा कार्य योजनानुसार पूर्ण कर लिया गया हो।

3.1.9 पार्किंग एवं यात्रियों के लिये आवागमन हेतु आवश्यक भूमि छोड़कर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर निविदाकर्ता को निम्नानुसार गतिविधियों हेतु अधोसंरचना विकसित किये जाने की पात्रता रहेगी :-

A. केवल सूचना देकर निर्माण योग्य अधोसंरचनाएँ :–

(I) चिल्ड्रन प्ले एरिया
(II) टेलिफोन/इंटरनेट कियोस्क
(III) सोवेनियर/हेंडिक्राफ्ट शॉप
(IV) बेबी/हेंडीकेप केयर रूम/सुविधाएँ
(V) फास्ट फूड आउटलेट/आइसक्रीम पार्लर
(VI) मिनी जनरल स्टोर
(VII) वाहन मरम्मत केन्द्र/कार वॉशिंग सुविधा
(VIII) ट्रेवल डेस्क
(IX) फ्लॉवर शॉप/बुक्स-न्यूज पेपर आउटलेट
(X) लाइव आर्ट/हेंडिक्राफ्ट डिस्प्ले
(XI) अन्य आनुषांगिक गतिविधियाँ जो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित की जाएँ।

B. पूर्व अनुमति प्राप्त कर निर्माण योग्य अधोसंरचनाएँ :–

(I) पेट्रोल पंप

(II) मैरिज गार्डन

(III) आवासीय कक्ष

(IV) बैंक ए.टी.एम.

(V) अन्य आनुषांगिक अधोसंरचनाएँ जो प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित की जायें।

3.1.10 उपरोक्त कंडिका 3.1.9(B) अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों हेतु पूर्वानुमति एवं निर्माण योजना का अनुमोदन प्रबंध संचालक से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3.1.11 ऐसी निर्मित अतिरिक्त अधोसंरचना, संचालन हेतु किसी अन्य व्यक्ति/इकाई को देने की स्थिति में संचालन हेतु दी गई अवधि मूल लीज अवधि से अधिक नहीं होगी तथा लीज अवधि समाप्त होने पर संचालन हेतु दी गई अवधि स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

3.1.12 लीज समाप्त होने के उपरांत निर्मित सभी अधोसंरचनायें स्वमेव पर्यटन विभाग के स्वामित्व में मानी जायेगी एवं इसके लिये संचालक को कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

3.1.13 मार्ग सुविधा केन्द्र में तंबाकू युक्त पदार्थों यथा सभी पान मसालों, गुटखों, पान, सिगरेट, बीड़ी, पटाखे आदि विस्फोटक पदार्थ की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

3.2 ग्रीन फील्ड मॉडल

3.2.1 मास्टर प्लान के अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर मार्ग सुविधा केन्द्र हेतु शासन से पर्यटन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जायेगी तथा इसे 30 वर्ष की लीज पर निजी निवेशकों को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2.2 मार्ग सुविधा केन्द्र निर्माण हेतु अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि निर्धारित होगी, जिसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य रुपये पाँच लाख होगा।

3.2.3 निविदा में प्राप्त अधिकतम मूल्य भूमि का प्रीमियम होगा तथा इस प्रीमियम राशि का एक प्रतिशत प्रति वर्ष लीजरेंट के रूप में देय होगा।

3.2.4 निविदा आमंत्रण सूचना एक राष्ट्रीय तथा दो प्रादेशिक समाचार पत्रों में तथा निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

3.2.5 निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मार्ग सुविधा केन्द्र के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने से पूर्व भूमि का विधिवत सीमांकन करवाया जाये एवं बाउंड्री का निर्धारण कर लिया जाये।

3.2.6 मार्ग सुविधा केन्द्र में कार/टूरिस्ट कोच/बस पार्किंग, फूड प्लाजा/रेस्टोरेंट, पुरुष एवं महिला टॉयलेट एवं वॉशरूम, चेंजिंग रूम, फर्स्ट-एड एवं 24x7 जल एवं विद्युत सुविधा निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस हेतु निर्माण योजना प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम से पूर्वानुमोदित करानी होगी।

3.2.7 उपरोक्त के अलावा अन्य सुविधाओं का निर्माण नीति की कण्डिका 3.1.9 से 3.1.13 के अनुसार किया जा सकेगा।

3.2.8 सफल निविदाकार को भूमि के आधिपत्य दिनांक से एक वर्ष की अवधि में मार्ग सुविधा केन्द्र निर्मित कर संचालन प्रारंभ करना होगा तथापि उठाये गये प्रभावी कदमों एवं किये गये निर्माण कार्य के दृष्टिगत परिस्थितिजन्य कारणों से अधिकतम दो बार छह-छह माह की अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

3.2.9 मार्ग सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिये भूमि ''जहाँ है जैसी है'' की स्थिति में उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्माण एवं संचालन के लिये आवश्यक अनुमतियां/पंजीयन/लाइसेंस आदि प्राप्त करना एवं प्रचलित अधिनियमों/नियमों/शासन के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन करना चयनित निविदाकार का दायित्व होगा।

3.3 फ्रैंचाइजी मॉडल

3.3.1 मार्ग सुविधा केन्द्रों के मास्टर प्लान अनुसार चिन्हित स्थलों के 10 किलोमीटर के दायरे में निजी निवेशकों द्वारा निजी भूमि पर अपने व्यय से पूर्व निर्मित/निर्माणधीन/प्रस्तावित यात्री सुविधाओं को मार्ग सुविधा केन्द्र के

रूप में चिन्हित कर मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के फ्रैंचाइजी आधार पर संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।

3.3.2 यह आवश्यक होगा कि ऐसी सुविधायें नगर पालिका/नगर निगम की सीमा से बाहर संचालित/प्रस्तावित हों।

3.3.3 फ्रैंचाइजी प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि मध्यप्रदेश पयर्टन विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार यात्री सुविधा अधोसंरचना का निर्माण एवं संचालन किया जाये। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा फ्रैंचाइजी हेतु ''लोगो'', ब्राण्डिंग एवं अन्य गुणवत्ता के मापदण्ड उपलब्ध कराये जाएंगे।

3.3.4 फ्रैंचाइजी प्राप्ति हेतु मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा समय-समय पर विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

3.3.5 निर्धारित मापदंडों पर उपयुक्त पाई जाने वाली इकाई को रुपये एक लाख फ्रैंचाइजी पंजीयन शुल्क देय होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष रु. 25000 फ्रैंचाइजी नवीनीकरण शुल्क देय होगा, जिसमें प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

3.3.6 सामान्यत: फ्रैंचाइजी, निर्धारित मापदंडों पर चयनित इकाई को ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' आधार पर दिया जायेगा। किन्तु एक से अधिक इकाई द्वारा आवेदन करने की दशा में फ्रैंचाइजी नवीनीकरण शुल्क की निर्धारित राशि से अधिक राशि के सीमित ऑफर सीलबंद लिफाफे में संबंधित आवेदकों से प्राप्त किये जायेंगे एवं अधिकतम राशि ऑफरकर्ता को फ्रैंचाइजी दी जायेगी।

3.3.7 ब्रॉउन फील्ड एवं ग्रीन फील्ड मॉडल हेतु नीति में वर्णित प्रतिबंधित गतिविधियां फ्रैंचाइजी इकाई के लिये भी प्रतिबंधित होगी।

3.3.8 फ्रैंचाइजी इकाईयों के संचालन का निरीक्षण मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम अथवा मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा नियत एजेंसी द्वारा समय-समय पर (6 माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से) किया जायेगा एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

3.3.9 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुसार संचालन करना न पाया जाने पर फ्रैंचाइजी को त्रुटि सुधार हेतु एक माह का अवसर प्रदान किया जायेगा। तीन से अधिक बार मापदंडों का अल्लंघन पाये जाने पर फ्रैंचाइजी का पंजीयन रद्द किया जा सकेगा।

4. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के दायित्व एवं अधिकार

4.1 निगम द्वारा ब्रांडिंग हेतु लोगो, विज्ञापन सामग्री एवं डिजाइन निर्धारित कर मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक को उपलब्ध करायी जायेगी।

4.2 निगम द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु निर्मित की जाने वाली सामग्री एवं सड़क पर लगाये जाने वाले बोर्ड/डिस्प्ले/होर्डिंग आदि पर ऐसी इकाई को विज्ञापित किया जायेगा तथा मार्केटिंग हेतु होने वाले आयोजनों में आमंत्रित किया जायेगा।

4.3 निगम द्वारा इकाई के दोनों ओर के पहुँच मार्ग पर 1000/500/100 मीटर पर इकाई के बारे में जानकारी हेतु प्रथम बार सूचना फलक (साइनेजेस) निर्धारित ब्राण्डिंग कर लगाये जायेंगे। इन सूचना फलकों के संधारण का दायित्व इकाई का होगा।

4.4 निगम द्वारा इकाईयों के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधोसंरचना निर्माण एवं संचालन को सुनिश्चित किया जायेगा एवं लगातार अवहेलना पर फ्रैंचाइजी अनुबंध के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.5 निगम द्वारा इकाईयों को सूचारू संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा तथा यथा आवश्यकता कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

4.6 निगम को मार्ग सुविधा केन्द्रों के निर्माण, संचालन एवं फ्रैंचाइजी देने हेतु आवश्यक आवेदन पत्र, चैक लिस्ट, निरीक्षण प्रतिवेदन, पालन प्रतिवेदन व अन्य आवश्यक प्रारूपों को निर्धारित करने एवं लागू करने हेतु अधिकार होंगे।

4.7 निगम को इस नीति के प्रावधानों के अनुरूप लीज, लाइसेंस, निविदा प्रपत्र, आरएफपी व अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित करने शुल्क निर्धारित करने/योग्यता निर्धारित करने एवं लागू करने के अधिकार होंगे।

4.8 निगम को नीति के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होने वाले प्रीमियम, लीज रेंट, लाइसेंस फीस, फ्रैंचाइजी फीस, पंजीयन शुल्क व अन्य राशियों को प्राप्त करने, निगम खाते में जमा करने एवं मार्ग सुविधा केन्द्र तथा अन्य स्थानीय पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं संचालन हेतु व्यय करने के अधिकार होंगे।

4.9 अन्य प्रशासकीय अधिकार जो कि मार्ग सुविधा केन्द्रों के इस नीति के प्रावधानों के अनुसार विकास, संचालन, संधारण, प्रबंधन एवं नियमन हेतु प्रबंध संचालक द्वारा आवश्यक समझे जायें।

5. मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक/फ्रैंचाइजी के दायित्व एवं अधिकार

5.1 पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधोसंरचना निर्माण एवं संचालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निगम द्वारा दिये गये सुझावों/मार्गदर्शन पर अमल किया जायेगा।

5.2 निगम को देय राशियों का समय पर नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5.3 अधोसंरचना निर्माण एवं गतिविध संचालन हेतु आवश्यक अनुमति/पंजीयन/लाइसेंस प्राप्त किये जायेंगे।

5.4 यात्रियों एवं पर्यटकों से मित्रवत व्यवहार किया जायेगा तथा उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

5.5 यात्री/पर्यटक शिकायत को सुनने एवं उसके तत्काल निराकरण की व्यवस्था स्थापित की जायेगी तथा इसे स्थल पर विज्ञापित किया जायेगा।

5.6 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ निष्पादित लीज डीड, फ्रैंचाइजी अनुबंध आदि की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.7 इकाई को निगम द्वारा नियत लोगो, डिजाइन एवं प्रचार विषय वस्तु के अपनी मार्केटिंग हेतु उपयोग की अनुमति होगी तथा इसके अलावा अन्य लोगो, डिजाइन आदि उपयोग में नहीं लिया जायेगा।

5.8 इकाई द्वारा मार्ग सुविधा केन्द्र के निर्माण, संधारण एवं संचालन हेतु निगम की विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा एवं इस संबंध में समस्या निराकरण/समाधान प्राप्त किया जा सकेगा।

6. विविध

6.1 नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे।

6.2 इस नीति के अंतर्गत लीज पर उपलब्ध करायी गई भूमि एवं भवन से प्राप्त प्रीमियम एवं लीज रेन्ट की राशि फ्रैंचाइजी पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क की राशि, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम में ही जमा करते हुए, उक्त राशि का उपयोग मार्ग सुविधा केन्द्र तथा अन्य स्थानीय पर्यटन सुविधाओं के अधोसंरचना विकास एवं संचालन में व्यय करने की अनुमति होगी।

6.3 मार्ग सुविधा केन्द्रों के संचालन, संधारण, प्रबंधन एवं नियमन के संबंध में निगम एवं इकाई/संचालक/फ्रैंचाइजी के मध्य किसी विवाद की स्थिति में निराकरण हेतु प्रमुख सचिव पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

6.4 नीति के अंतर्गत जारी किए जाने वाले निविदा दस्तावेज, लीज अनुबंध, फ्रैंचाइजी अनुबंध दस्तावेजों के प्रारूप अनुमोदन हेतु पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन अधिकृत होगा।

6.5 इस नीति के प्रावधानों की व्याख्या, मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण एवं आवश्यक संशोधन के लिए पर्यटन नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अधिकृत होगी।

MADHYA PRADESH - STATUS OF WAY SIDE AMENITIES

The heart of
Incredible India

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल - 462 003

दूरभाष : 0755-2774450 फैक्स : 0755- 2775434

ई-मेल : md@mptourism.com वेबसाइट : www.mptourism.com

मध्यप्रदेश माध्यम/2016
Printed at : Drishti Offset, BPL